न्यायालयः–सीमा प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी

दांडिक प्र0क्र0 2198/22

धारा 294, 506 भाग दो, 323 भादसं

शासन वि0 जग्गेराम नेताम

13.12.2022 राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपी सहित श्री परमानंद अग्रवाल अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर **प्रार्थी** जयंत्री नेताम ने स्वतः उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र **दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 320 (2)** के तहत आरोपीगण के साथ राजीनामा करने की अनुमति चाहने बाबत् प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी/आहत जयंत्री नेताम की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। प्रार्थी/आहत के निवेदन के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह विदित है कि इस प्रकरण में प्रार्थी के रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294 तथा 506 भाग–दो, 323** में न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है। उक्त अपराध दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 320 (2) के तहत न्यायालय के अनुमति से राजीनामा योग्य अपराध है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा आरोपी के साथ बिना किसी दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना बताकर प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है। प्रार्थी /आहत ने स्वयं की पहचान के संबंध आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को प्रकरण में आरोपी के साथ राजीनामा करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत : उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की ओर से **दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 320 (2)** के तहत प्रस्तुत आवेदन विचारोपरांत स्वेच्छया एवं विधि अनुकूल होना पाए जाने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रकरण में आरोपी के साथ राजीनामा करने की अनुमति दिया जाता है।

तदुपरांत प्रार्थी तथा आरोपी की ओर से एक दूसरा आवेदन पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 (8) के तहत राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त करने हेतु राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के संदर्भ में पक्षकारों से राजीनामा विषयक् प्रश्न पूछा गया, जिसमें पक्षकारों के द्वारा बिना किसी डर व दबाव के स्वेच्छया पूर्वक आपसी सहमति से राजीनामा करना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वेच्छया एवं विधि अनुकूल होना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त आशदेव यादव को राजीनामा के आधार पर **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294, 506 भाग दो, 323** के आरोप में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त अभियुक्त के जमानत मुचलके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 ए की कालावधि तक विस्तारिक रहेंगे।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति प्लास्टिक का चप्पल मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण जिला अभिलेखागार धमतरी को नियमानुसार परिसीमा के अंदर भेजी जाए।

SEEMA PRATAP CHANDRA
Digitally signed by SEEMA PRATAP CHANDRA
Date: 2022.12.15 16:17:19 +0530

(सीमा प्रताप चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
धमतरी (छ.ग.)